भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 4797

जिसका उत्तर 31.03.2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव और विकास

4797. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

श्री छतर सिंह दरबार:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि के अनुसार देश, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और विकास के लिए राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और विकास के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) आज की तारीख तक देश में 658 राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) हैं जिनकी कुल लंबाई 1,41,190 किलोमीटर है। इसमें से, देश के 201 राष्ट्रीय राजमार्ग आदिवासी जिलों से होकर गुजर रहे हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। जनजातीय क्षेत्रों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य परस्पर प्राथमिकता, यातायात घनत्व और धन की उपलब्धता के आधार पर तदनुसार शुरू किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक के दौरान स्वीकृत / सौंपे गए एनएच के कार्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) - वार विवरण अनुबंध- I में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित धन और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी-वार विवरण क्रमशः अनुबंध-II और अनुबंध-III में दिया गया है।

अनुबंध-।

'राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव और विकास' के संबंध में श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा, श्री छतर सिंह दरबार द्वारा दिनांक 31.03.2022 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4797 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक के दौरान स्वीकृत / सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य / केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण:-

					राशि करोड़ रु में
क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22 (31.01.2022 *तक*)**
1	आंध्र प्रदेश	1,492	4,706	7,126	14,883
2	अरुणाचल प्रदेश	4,005	1,163	1,840	8
3	असम	121	5,833	3,475	1,662
4	बिहार	5,161	405	17,710	2,660
5	छत्तीसगढ़	29	1,399	3,226	402
6	दादर और नगर हवेली	136	0	0	225
7	दिल्ली	4,135	1,558	1,836	4,413
8	गोवा	0	143	75	1,243
9	गुजरात	1,683	978	16,213	6,355
10	हरियाणा	10,852	4,626	8,857	2,137
11	हिमाचल प्रदेश	219	465	5,505	2,249
12	जम्मू और कश्मीर	110	1,751	7,149	7,820
13	झारखंड	2,402	475	5,198	405
14	कर्नाटक	4,197	1,467	11,576	2,644
15	केरल	423	294	13,815	8,282
16	मध्य प्रदेश	1,402	9,041	5,438	2,501
17	महाराष्ट्र	4,576	9,052	17,888	6,899

					राशि करोड़ रु में
क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22 (31.01.2022 *तक*)**
18	मणिपुर	503	1,002	5,573	3,869
19	मेघालय	330	108	2,616	838
20	मिजोरम	110	1,479	2,005	4,192
21	नागालैंड	257	2,396	3,373	68
22	उड़ीसा	137	532	4,456	954
23	पुदुचेरी	11	0	99	0
24	पंजाब	704	350	3,173	21,171
25	राजस्थान	3,453	11,980	8,868	2,539
26	सिक्किम	45	27	3,131	385
27	तमिलनाडु	7,864	3,732	7,134	6,361
28	तेलंगाना	3,179	1,286	3,528	5,567
29	त्रिपुरा	0	2,506	1,433	0
30	लद्दाख	0	799	2,287	0
31	उत्तर प्रदेश	3,672	12,139	5,587	10,608
32	उत्तराखंड	1,209	1,055	2,698	1,324
33	पश्चिम बंगाल	1,777	1,723	5,108	382
कुल		**64,197**	**84,472**	**1,87,996**	**1,23,046**

अनुबंध-II

'राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव और विकास' के संबंध में श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा श्री छतर सिंह दरबार द्वारा दिनांक 31.03.2022 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4797 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आवंटित धन और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी-वार विवरण:-

राशि करोड़ रुपए में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/योजनाएं/एजेंसी	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (28.02.2022 तक)	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	2,260	2,054	1,809	2,011	1,846	1,922	2,116	1,793
2	अरुणाचल प्रदेश	90	89	81	81	142	150	310	221
3	असम	414	421	430	428	420	420	350	309
4	बिहार	1,598	1,554	1,899	1,553	2,082	2,170	2,542	2,156
5	छत्तीसगढ	1,831	1,342	709	697	683	791	648	577
6	गोवा	940	973	1,004	976	1,062	726	643	543
7	गुजरात	392	390	545	719	730	828	800	735
8	हरियाणा	330	375	105	108	160	143	110	82
9	हिमाचल प्रदेश	351	328	160	99	176	182	722	608
11	झारखंड	320	320	163	182	330	301	350	279
12	कर्नाटक	1,630	1,561	1,361	1,293	1,210	1,224	1,079	854
13	केरल	280	301	294	327	470	525	331	254
14	मध्य प्रदेश	1,665	1,887	2,279	2,535	1,750	1,958	1,306	1,121
15	महाराष्ट्र	7,051	7,445	10,341	10,998	9,849	9,226	6,099	5,281
16	मणिपुर	260	260	397	392	147	145	130	99
17	मेघालय	71	58	35	20	17	19	60	36

									राशि करोड़ रुपए में
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/योजनाएं/एजेंसी	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22 (28.02.2022 तक)**	
		आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
18	मिजोरम	80	80	85	85	91	89	125	112
19	नागालैंड	200	200	445	414	355	308	364	311
20	उड़ीसा	790	774	451	462	601	676	755	635
21	पंजाब	786	808	883	1,020	820	675	528	429
22	राजस्थान	1,296	1,290	1,124	1,062	842	911	836	704
23	सिक्किम	1	0	0	0	5	4	42	36
24	तमिलनाडु	870	884	530	423	716	618	1,200	1,010
25	तेलंगाना	1,220	1,213	1,515	1,494	1,000	1,015	970	737
26	त्रिपुरा	50	50	65	62	105	100	125	109
27	उत्तर प्रदेश	2,040	1,996	1,838	1,765	1,715	1,798	1265	1080
28	उत्तराखंड	1,000	1,011	964	1,044	960	1,039	679	579
29	पश्चिम बंगाल	991	980	806	792	713	751	593	441
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			0	0	1	0	1	0
31	चंडीगढ़	2	1	5	0	1	0	1	0
32	दादर और नगर हवेली	2	0	12	0	25	43	32	26
33	दमन और दीव			8	0				
34	दिल्ली	3	0	83	62	92	50	98	56
35	जम्मू और कश्मीर	45	44	50	26	70	52	90	59
36	लद्दाख			0	0	20	17	11	0

									राशि करोड़ रुपए में
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/योजनाएं/एजेंसी	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22 (28.02.2022 तक)**	
		आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
36	पुदुचेरी	30	13	2	1	21	19	3	1
37	एनएच (मूल) के तहत अन्य परियोजनाएं / पहले आओ पहले पाओ	-	-	1,513	#	-303	#	-200	#
38	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)- उपकर $	11,569	11,569	11,091	11,091	23,850	23,850	36,210	36,210
39	एनएचएआई- टोल $	9,570	9,570	10,600	10,600	11,500	11,500	12,670	12,670
40	एनएचएआई- रारा (मूल) $	0	0	1,000	1,000	2,833	2,833	16,242	16,242
41	एनएचएआई- टीओटी $	9,682	9,682	10,000	5,000	10,250	7,262	13,000	0
42	रारा(मूल)$. के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीए)	1,000	1,000	2,165	2,165	6,568	6,568	7,079	7,079
43	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)$	135	135	356	354	502	500	385	263
44	अरुणाचल पैकेज सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एसएआरडीपी-	5,610	5,345	3,680	3,592	4,540	4,513	4,825	4,426

									राशि करोड़ रुपए में
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/योजनाएं/एजेंसी	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22 (28.02.2022 तक)**	
		आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
	एनई) के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम$								
45	विजयवाड़ा-रांची सड़क के विकास सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई) में सड़कों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	905	552	475	409	425	378	332	309
46	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं - मुख्यालय, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल $	222	219	1,242	1,242	1,905	1,905	3,151	3,151
47	भारतमाला बीआरओ, एनएचआईडीसीएल $							911	909
48	रोपवे का विकास							5	5
49	एनएचएलएमएल							100	100
	कुल बजटीय सहायता	**67,582**	**66,774**	**72,600**	**66,584**	**91,297**	**88,204**	**1,19,924**	**1,02,537**
50	आईईबीआर/एनएचएआई द्वारा उधार	62,000	61,217	75,000	74,988	65,000	65,036	65,000	60,372

									राशि करोड़ रुपए में
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/योजनाएं/एजेंसी	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22 (28.02.2022 तक)**	
		आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
51	एसपीवी						9,731	7006	7,006
52	ईनविट							7350	7,350
	कुल	**1,29,582**	**1,27,991**	**1,47,600**	**1,41,572**	**1,56,297**	**1,62,971**	**1,99,280**	**1,77,265**

आवंटन - आवंटन; व्यय - व्यय

इस शर्त के अधीन विशुद्ध रूप से "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर व्यय करने के लिए प्राधिकृत किए गए थे कि कुल समग्र व्यय उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कुल आवंटन से अधिक न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियों का कम से कम समर्पण है। इसलिए, कुछ राज्यों के लिए व्यय उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए आवंटन से अधिक रहा है।

***- ऋणात्मक आवंटन परिलक्षित होता है क्योंकि एनएचडीपी-IV (राज्य पीडब्ल्यूडी) से एनएचएआई को निधियों का पुन: विनियोजन किया गया था। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार आवंटन कम नहीं किया गया था।**

#- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार व्यय शामिल

$- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार आवंटन नहीं किया गया

उपरोक्त विवरण में पीआर/आईआरक्यूपी का आवंटन शामिल नहीं है। पीआर/आईआरक्यूपी को 2021-22 तक एनएच (मूल) से वित्त पोषित किया जाता है।

अनुबंध-III

'राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव और विकास' के संबंध में श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा श्री छतर सिंह दरबार द्वारा दिनांक 31.03.2022 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 4797 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए आवंटित धन और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी-वार विवरण:-

करोड़ रुपए में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22 (28.02.2022 तक)**	
		आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
1	आंध्र प्रदेश	87.98	20.61	89.6	65.37	147.44	113.91	150.92	60.56
2	अरुणाचल प्रदेश	34.1	15.97	28.72	25.27	78.76	111.39	68.84	37.56
3	असम	48.33	11.33	28.49	3.28	130.68	73.19	110.7	36
4	बिहार	38.86	20.91	50.31	15.24	115.92	64.86	108.32	42.89
5	छतीसगढ	28.59	10.79	25.02	16.79	44.13	16.72	32.77	13.25
6	गोवा	8.1	4.87	6.59	1.13	18.95	8.02	16.19	6.42
7	गुजरात	80.3	64.49	100.23	91.43	186.28	114.78	168.58	47.01
8	हरियाणा	0.8	0.26	0.5	0.02	3	0	3.5	0
9	हिमाचल प्रदेश	55.45	43.01	37.9	28.34	83.4	73.98	88.59	51.16
10	झारखंड	44.31	32.25	26.83	26.07	39.71	23.13	49	20.52
11	कर्नाटक	66.21	46.52	60.88	30.87	148.3	132.44	151.44	48.95
12	केरल	81.95	29.93	77.19	64.27	127.06	178.97	121.62	38.44
13	मध्य प्रदेश	40.59	11.23	25.11	14.8	102.05	28.11	63.84	10.79
14	महाराष्ट्र	387.9	352.83	125.25	42.48	281.53	157.14	270.81	43.28
15	मणिपुर	34.94	21.67	7.1	2.38	26.11	22.89	19.38	14.03
16	मेघालय	121.29	67.35	70.36	39.15	61.66	45.64	64.07	46.22

करोड़ रुपए में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22 (28.02.2022 तक)	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
17	मिजोरम	158.98	126.86	48.97	37.23	34.91	21	44.96	21.59
18	नागालैंड	63.33	50.65	42.42	32.73	62.14	46.24	70.09	21.56
19	उड़ीसा	43.24	25.9	55.31	49.95	63.16	104.68	99.73	55.85
20	पंजाब	33.2	10.62	10.74	5.43	34.72	27.81	27.85	3.09
21	राजस्थान	52.73	18.23	51.9	40.02	125.86	78.02	111.51	7.38
22	सिक्किम	16	17.3	11.94	10.36	5.88	6.85	8.87	3.39
23	तमिलनाडु	52.77	42.68	36.85	16.21	92.68	92.18	75.95	15.5
24	तेलंगाना	37.34	22.73	82.6	59.55	128.43	72.54	103.3	22.35
25	त्रिपुरा	47.94	47.35	25.71	14.54	16.68	12.13	9.03	0
26	उत्तर प्रदेश	73.07	40.12	116.22	73.54	139.57	90.81	133.63	47.79
27	उत्तराखंड	38.06	15.04	27.97	14.42	46.21	32.79	40.41	5.96
28	पश्चिम बंगाल	32.27	28.54	41.66	38.03	51.5	34.89	46.11	29.86
29	चंडीगढ़	0.1	0	0.2	0	3.11	2.03	9.3	5.69
30	दादर और नगर हवेली ^	0.1	0	0.2	0	0.86	0	0.68	0
31	दमन और दीव ^	0.1	0	0.2	0				
32	दिल्ली	0.5	0	0.5	0	0.25	0	0.2	0
33	जम्मू और कश्मीर $	33.48	9.14	2.02	0.34	9.37	0	4.11	0
34	लद्दाख			0	0	5.13	3.39	3.64	0

									करोड़ रुपए में
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22 (28.02.2022 तक)**	
		आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
35	पुदुचेरी	1.08	0.99	1.97	0.09	2.35	1.98	1.37	0.3
36	एनएचएआई	272.19	272.19	400	400	400	400	1909.36	1909.36
37	एनएचआईडीसीएल	100	100	200	200	248.17	248.17	300	300
38	बीआरओ	115	114.81	142	134.23	220	219.78	170	120.33
39	पहले आओ पहले पाओ			-59.46	#	-632.04	**#**	-1222.24	#
	कुल योग	**2331.18**	**1697.17**	**2000**	**1593.56**	**2653.92**	**2660.46**	**3436.43**	**3087.08**

आवंटन - आवंटन; व्यय - व्यय

इस शर्त के अधीन विशुद्ध रूप से "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर व्यय करने के लिए प्राधिकृत किए गए थे कि कुल समग्र व्यय उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कुल आवंटन से अधिक न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियों का कम से कम समर्पण है। इसलिए, कुछ राज्यों के लिए व्यय उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए आवंटन से अधिक रहा है।

$- जम्मू और कश्मीर राज्य और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्गठन से पहले जम्मू और कश्मीर राज्य

^- विलय से पहले के केंद्र शासित प्रदेश

*- ऋणात्मक आवंटन परिलक्षित होता है क्योंकि कम व्यय होने के कारण राज्य पीडब्ल्यूडी से एनएचएआई/एनएचआईडीसीएल को निधियों का पुन: विनियोजन किया गया था। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन को स्वीकृति उद्देश्यों के कारण कम नहीं किया गया था।

#- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार व्यय शामिल

उपरोक्त विवरण में आवंटन और व्यय में पीआर / आईआरक्यूपी शामिल है जिसे 2021-22 से एनएच (ओ) से वित्त पोषित किया गया है। इसलिए, कुल आवंटन एम एंड आर के कुल परिव्यय से अधिक है।

*****